

पत्रांक-श्रम क० सं०-25/2015

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, बक्सर के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) एवं 07 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से अनुदान की राशि भुगतान हेतु ₹ 210000/- (दो लाख दस हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 310000/- (तीन लाख दस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक एवं पिता/पति का नाम	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी / श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/नि:शब्दता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	स्व० रामपती साहू, श्री बेलासी साहू, सामान्य	श्रीमती हेमवती देवी (पत्नी)	478/19, 8.17	ग्राम-वासुदेवा, पो०-भयार, थारु-प्र०-नावानगर, बक्सर	270300170 0023263	पंजाब नेशनल बैंक, नवानगर, PUNB0270300	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि एवं अन्य प्रतिष्ठान में कामगार मजदूर
2	स्व० रविवरज उपाध्याय, श्री रामायण उपाध्याय, सामान्य	श्रीमती मंजू देवी (पत्नी)	तदैव	ग्राम-रेका, पो०-आथर, थारु-सिकरील, प्र०-नावानगर, बक्सर	354631741 6	सेन्ट्रल बैंक, बक्सर, CBIN0281400	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, केवल विद्युत का कार्य
3	स्व० विनोद कुमार सिंह, श्री निर्मल सिंह, सामान्य	श्रीमती सुनीवा देवी (पत्नी)	तदैव	ग्राम-पो० आथर, थारु-प्र०-नावानगर, बक्सर	700801001 22113	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, आथर, PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि एवं अन्य प्रतिष्ठान में कामगार मजदूर
4	स्व० उदय प्रसाद तुरहा, स्व० विप्रवन्ता प्रसाद, सामान्य	श्रीमती गिता देवी (पत्नी)	तदैव	ग्राम-सिबिल लाईन, पो०-थारु-प्र०-जि०-बक्सर	387700010 0092360	पंजाब नेशनल बैंक, बक्सर, PUNB0387700	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, सर्वोच्च विद्यालय एवं विश्वविद्यालय
5	स्व० शिव बचन प्रसाद, श्री रामजोगी पंडित, सामान्य	श्रीमती मिना कुंवर (पत्नी)	तदैव	ग्राम-सतुहडी, पो०-दिबाल के बड़वा गाँव, थारु-सिकरील, प्र०-नावानगर, बक्सर	701707000 46068	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, सेलाँव, PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, मनरा मजदूर
6	स्व० बैजनाथ राम, स्व० बृजमोहन पासवान, अनु० जाति	श्रीमती मकतुलिया देवी (पत्नी)	तदैव	ग्राम-तेहरबिन्द दीवा, पो०-थारु-सिकरील, प्र०-नावानगर, बक्सर	701717000 78408	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, सेलाँव, PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि एवं अन्य कार्य में मजदूर
7	स्व० पन्ना लाल तुरहा, श्री कैलाश तुरहा, सामान्य	श्रीमती लालता देवी (पत्नी)	तदैव	ग्राम-पो० गिरधर बरौंवा, थारु-प्र०-नावानगर, बक्सर	114168053 38	SBI, कोहनसराय, SBIN0004889	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि एवं अन्य प्रतिष्ठान में कामगार मजदूर
8	स्व० सुरेश प्रसाद उर्फ सुरेश कमकर, श्री रामेश्वर कमकर, सामान्य	श्रीमती कलावती देवी (पत्नी)	तदैव	ग्राम-दबनपुरा, पो०-थारु-प्र०-सिमरी, बक्सर	131100010 0139642	पो०एन०सी०, हुल्लहपुर, PUNB0131100	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर

कुल :- ₹ 310000/-

(तीन लाख दस हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण सा बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा य 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-25/2015 के पृष्ठ-54 /टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(कामिनी कुमारी)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-25/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(कामिनी कुमारी)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-25/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(कामिनी कुमारी)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-25/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 310000/- (तीन लाख दस हजार रूपए)का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(कामिनी कुमारी)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-25/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, बक्सर को उनके पत्रांक 478 दिनांक 19.08.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(कामिनी कुमारी)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।



संख्या :- श्रम क० स०-25/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

ह०/-

ह०/-

(कामिनी कुमारी)

(डा० गणेश कुमार झा)

(गोपाल मीणा)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

मुख्य वित्त पदाधिकारी

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-25/2015-26

पटना, दिनांक :- 17-01-18

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं

आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।







(कामिनी कुमारी)

(डा० गणेश कुमार झा)

(गोपाल मीणा)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

मुख्य वित्त पदाधिकारी

कार्यकारी निदेशक।